

अभिलेख उपस्थापित । जांच प्रतिवेदन अंशतः अधिकारी से निर्धारित अवधि में अप्रप्त है। जेठा एवं बिलेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं हो गई। इससे प्रतीत होता है कि जेठा एवं बिलेता को भूमि क्रय-विक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अधिकारी नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोविजो 'ए'/'बी' की कार्यवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही उदासीनता के आलोक में बाद की कार्यवाई स्थगित की जाती है।

भूमि तुम्हार उप समाहर्ता
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।